

झांसी सिविल प्राधिकरण, झांसी

पत्रांक 010100116/जे.डी.ए.-ग्रुप हाउसिंग गानचित्र-(2016-17)

दिनांक : 11 अप्रैल, 2016

मॉ. पीताम्बरा डेवलपर्स,
पार्टनर श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी पत्नी श्री के.के.त्रिपाठी,
निवासी-356/17, डोकन बाग, झांसी।
श्री विनोद कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री बाबूलाल सोनी,
37/1, सिविल लाइन, झांसी। आदि

आपके पत्र दिनांक 01.01.2016 मानचित्र सं. 010100116 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग को आराजी नं० 355 भौजा झांसी सिविल झांसी के मानचित्र में दर्शित स्थल पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृति, गानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह गानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृति गानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि गौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में स्वीकृत गानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यास (ओकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. गानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है -
 - संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित शर्तों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
 - दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के भवनों के सापेक्ष शासनादेशानुसार बंधक भूमि को भवनों के निर्माण की प्रगति के साथ-साथ समानुपातिक रूप से अवगुक्त किया जायेगा।
 - समय-समय पर शारान द्वारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्धारित की गयी नीतियों का पालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
12. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर, कोई तथ्य छुपाकर गानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
13. गानचित्र की स्वीकृति अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।
इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत गानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :- अवर अभियंता को प्रेषित।

सचिव

झांसी विकास प्राधिकरण

11-4-16